प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा मे

1. सभी माननीय मन्त्रीगण हरियाणा राज्य।
2. सभी माननीय विधायक (एम.एल.ए.) हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक वी.ए.एन.जी.वाई.–2023/2607
चण्डीगढ़, दिनांक 18.04.2023

विषयः– विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना की मार्गदर्शिका बारे।

श्रीमान/श्रीमती जी,

जैसाकि आपको विदित है कि राज्य मे विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को उन द्वारा चयनित गांव जिसकी आबादी 5000 तक है, को 50.00 लाख रूपये तक, 5000 से ज्यादा व 10000 से कम आबादी वाले गांव के लिए 1.00 करोड़ तक तथा 10000 से ज्यादा आबादी वाले गांव के लिए 2.00 करोड़ रूपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना के दिशानिर्देशों में बदलाव करते हुए इस योजना का नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कर दिया गया है जिसमें विधायकों को ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों जैसेकि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका में विकास कार्य करवाने के लिए भी राशि recommend करने की शक्तियां होंगी।

अतः विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना की नवीनतम मार्गदर्शिका की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतू संलग्न की जाती है।

अतिरिक्त निदेशक
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क0 वी.ए.एन.जी.वाई.–2023/2608 चण्डीगढ़, दिनांक 18.04.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज नं0 11–14, सैक्टर–4, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

अतिरिक्त निदेशक
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ0 क0 वी.ए.एन.जी.वाई.–2023/ 2609 चण्डीगढ़, दिनांक 18.04.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है:–

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं नॉडल अधिकारी (वी.ए.एन.जी.वाई.)।
2. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.आर.डी.ए., हरियाणा राज्य।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृष्ठ0क0 वी.ए.एन.जी.वाई 2023/2610 चण्ड़ीगढ़, दिनांक 18.04.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजि सचिव/मुख्यमन्त्री को माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजि सचिव/विकास एवं पंचायत मन्त्री को, माननीय विकास एवं पंचायत मन्त्री हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 को अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ
4. निजि सचिव/निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रा0 वि0 को निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा के सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृष्ठ0क0 वी.ए.एन.जी.वाई 2023/ 2611 चण्ड़ीगढ़, दिनांक 18.04.2023

इसकी एक प्रति सिस्टम एनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा को कार्यालय की वेबसाईट पर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना की नवीनतम मार्गदर्शिका अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना

पृष्ठभूमि

राज्य सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर दिनांक 6 जुलाई, 2015 से विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का चयन करके उन्हें केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से विकास कार्य करवाकर आदर्श ग्राम बनवाना था।

फरवरी–मार्च 2016 के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक द्वारा चयनित गांव के विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रूपये तक की राशि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था। दिनांक 26.12.2018 को राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विधायक द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के चयनित गांवों के विकास कार्यों के लिए एक वित्त वर्ष में 2.00 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक गांवों का चयन कर सकते है अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गाँव में विकास कार्य करवा सकते हैं।

अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना के मौजुदा दिशानिर्देशों में बदलाव करते हुए इस योजना का नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कर दिया गया है। अब विधायक ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों जैसेकि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका में भी विकास कार्य करवा सकते हैं।

उद्देश्य

विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं गांवों के समग्र विकास हेतू बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है।

मानदण्ड

विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक या एक से अधिक गांव अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गाँव या शहर में विकास कार्य करवा सकते हैं।

निधि प्रावधान

इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2.00 करोड़ रूपए की धनराशि निम्न प्रकार से आबादी के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगीः–

क) 5000 तक आबादी वाले क्षेत्र के लिए 50.00 लाख रूपए तक
ख) 5000 से अधिक व 10000 से कम आबादी वाले क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रूपए तक
ग) 10000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रूपए तक

तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति

1. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में करवाए जाने वाले कार्यों की सूची अपनी सहमति सहित जिले के उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उपलब्ध करवाएंगे ताकि इन कार्यों के प्राक्कलन विकास एवं पंचायत विभाग के तकनीकी विंग द्वारा राज्य के दिशा–निर्देशों अनुसार तैयार किए जा सके।
2. नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूचि भी सम्बन्धित उपायुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दी जाएगी। वे इन कार्यों के प्राक्कलन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमों के अनुसार तैयार करने उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा को भेजेंगे। इस योजना के तहत कार्य करने के लिए सम्बन्धित नगर निगम का प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।
3. सरकार द्वारा इन विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त ही सम्बन्धित जिले के उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि इन कार्यों का कियान्वयन किया जा सके।

समय सीमा

इस योजना के अन्तर्गत करवाए जाने वाले कार्यों का कियान्वयन विकास एवं पंचायत विभाग तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार ही करवाया जाना है।

नॉडल विभाग व अधिकारी

1. इस योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा नॉडल विभाग रहेगा।

2. सम्बन्धित जिले के उपायुक्त विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के कियान्वयन के लिए नॉडल अधिकारी होंगे तथा वे इस योजना के अन्तर्गत करवाए जाने वाले कार्यो की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार करेंगे।

करवाए जाने वाले कार्य

क) पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए निर्धारित धनराशि

कुल धनराशि का 5% अंश निम्नलिखित कार्यकलापों में खर्च किया जाना है:–

1) वर्षा के जल का संचयन जैसेकि सोखता गडढे, जोहड़ों की सफाई व खुदाई।
2) हवा, पानी और भूमि के स्थानीय प्रदूषण को कम करने वाले कार्यकलाप।
3) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।

ख) अन्य कार्य

1. पेयजल विशेषकर घरों/सरकारी भवनों में नल का शुद्ध पानी; गांव में स्वच्छ पीने के पानी के लिए आरो (R.O) फिल्टर वाटर सिस्टम।
2. मुख्य सड़क नेटवर्क बारहमासी सड़क संपर्कता।
3. आंगनवाड़ी, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, पशु चिकित्सालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना, सामुदायिक हॉल, वृद्धाश्रम, सिलाई सेंटर या अन्य कौशल विकास केंद्र, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए कार्यस्थल शैड, रिटेनिंग वॉल, चौपाल।
4. कब्रगाह, शमशान घाट सहित जन सुविधाएं।
5. स्मार्ट लाइब्रेरी, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, ई–साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा।
6. मध्यान्ह भोजन योजना के लिए सरकारी विद्यालयों में भोजनालय तथा रसोई घर का निर्माण।
7. पार्क, व्यायामशाला, जिम, योगा–हॉल, वॉकिंग–जोगिंग पाथ, खेलकूद मैदान, स्टेडियम इत्यादि।
8. पक्की गलियां, फुटपाथ/पगडंडी का निर्माण।
9. सार्वजनिक जल निकासी हेतु नालियां और गटर।

10. सार्वजनिक शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट उपचार खड्डों के साथ ढकी हुई नालियों का निर्माण करना, कचरा इकट्ठा करना, उसकी छंटनी करना और उसे समाप्त करने की प्रणाली विकसित करना।

11. यात्रियों के लिए बस शैड/स्टॉप का निर्माण।

12. पशुओं के लिए शैड/हॉस्टल, बायोगैस संयंत्र, गोबर गैस, गोबर बैंक, पशु हॉस्टल सहित पशुधन विकास करना, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों और सुनियोजित लिंकेज के माध्यम से मवेशी आधारित आजीविका को बढ़ावा देना, पशु स्वास्थ्य अभियानों और मेलों की स्थापना करना, लघु डेयरी प्रसंस्करण को ऐसे उत्पाद के विपणन के साथ जोड़ना।

13. सड़क के किनारे, विद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों में वृक्षारोपण।

14. सिंचाई सुविधाएं, कृषि व किसान कल्याण संबंधी कार्य, जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु कार्य व गांव में कृषि सेवा केंद्र/एग्रो सेवा केंद्र।

15. नशा मुक्ति केंद्र।

16. स्थानीय ज्ञान एवं सामग्री का प्रयोग करते हुए स्थानीय खिलौने एवं शिक्षा संसाधन केंद्र तैयार करना; पारम्परिक कौशल वाले व्यवसाय जैसेकि बुनाई और कुम्हार से लेकर आधुनिक कुटीर एवं लघु उद्योगों तक ग्रामीण उद्योगों को पुर्नजीवित करना।

17. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना।

18. स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।

19. पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।

20. गांव के बुजुर्गों, स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सम्मान हेतु कार्यकलाप।

21. गांव में खेलकूद और लोक कला महोत्सव आयोजित करना।

22. वर्कशैडों का निर्माण।

23. मार्किट लिंकेज की स्थापना (विशेषतः सहकारी समितियां)।

24. फसल कटाई के बाद भण्डारण और कृषि और सृजित श्रेणीकरण की सुविधा।

25. ग्रामीण समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए उनका कौशल विकास करना।

26. विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत करना।

27. मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास।

28. गांव के आस–पास हरित क्षेत्र विकसित करना।

29. स्थानीय पौधशालाओं का विकास करना।

30. भू–क्षरण/अपरदन की रोकथाम।

31. भू–जल स्तर में वृद्धि।

32. मृदा परीक्षण एवं मृदा हेल्थ कार्ड तैयार करना।

33. बायोगैस से जुड़ी कमपोस्टिंग एवं फार्मयार्ड खाद तैयार करना।

34. पॉलीथीन के थैलों और अन्य हानिकारक प्रदूषकों के उपयोग पर सामाजिक पाबंदी लगाना।

35. सार्वजनिक भवनों में शौचालय इकाईयों से जुड़ा छत के ऊपर वर्षा जल संचयन।

36. गांव तक और गांवों से बेहतर संपर्कता जिससे आर्थिक कार्यकलाप और बाजारों के साथ–साथ सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी।

37. दूरसंचार और इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार।

38. सुचारू रूप से कार्य कर रहे और किफायती ग्रामीण बाजार को तैयार करना।

39. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम बैंकिंग नेटवर्क का संयोजन सुनिश्चित करना; अनारक्षित क्षेत्रों में माइक्रो ए.टी.एम का विस्तार करने के लिए बैंक सहभागियों का निर्धारण करना।

40. ब्रॉड बैंड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और सामान्य सेवा केन्द्र।

41. सामान्य सेवा केन्द्र को ग्राम पंचायत कार्यालय के भाग के तौर पर बनाया जा सकता है।

42. पंचायत भवन जैसी ग्राम पंचायतें, कम्प्यूटर आदि के लिए आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध करना।

43. ग्राम पंचायत के बेहतर आधारभूत सरंचना।

44. कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समग्र जानकारी को स्वतः–पब्लिक डोमेन में डालना।

45. ग्राम पंचायत के लिए यह जानकारी एकत्रित करना और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिग्स, नोटिस बोर्ड के माध्यम से इसके प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना।

46. ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर उपलब्ध करना; ई–गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण करना।

47. ऐसे सार्वजनिक प्रकृति (public nature) के कार्य जिसके लिए अन्य विभागों के पास राशि उपलब्ध नहीं है वह भी करवाए जा सकते हैं।

प्रतिबंधित कार्य

1. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से सम्बन्धित अन्य कार्य।
2. कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई शामिल हो।
3. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।
4. किसी भी राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
5. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति।
6. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतू संपत्ति।
7. धार्मिक पूजन से सम्बन्धित स्थल तथा धार्मिक आस्था के अन्तर्गत कार्य।
8. स्वागत द्वारों का निर्माण।
9. अनाधिकृत कालोनियों में कार्यों का निष्पादन।
10. किसी भी सोसाइटी के लिए निधि जारी नही की जाएगी।

कार्य परिवर्तन

यदि किसी कार्य पर विवाद है या किसी अन्य कारण से वह कार्य नही करवाया जा सकता तो उस कार्य के स्थान पर सम्बन्धित विधायक की अनुशंसा पर अन्य किसी कार्य के प्राक्कलन राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई राशि के 6 महीने उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाना अनिवार्य है।

विभागीय वेबसाईट

सम्बन्धित जिलों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत करवाए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाईट 112.196.92.67/vagy पर अपलोड किया जाएगा व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के 10 तारीख से पूर्व विभागीय वेबसाईट पर अपडेट होनी चाहिए।